

एक-एक घुसपैटिये देश से बाहर होंगे

केन्द्रीय गृह मंत्री बोले- देश को घुसपैटियों से मुक्त कराना सरकार का दृढ़ संकल्प

गांवों में बेहतर संवाद और संपर्क बनाए रखने पर जोर
देश-विरोधी तत्वों की घुसपैठ रोकी जा सके



पटना, 26 फरवरी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को घुसपैटियों से मुक्त कराना कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का दृढ़ संकल्प है. उन्होंने अररिया में बॉर्डर आउट पोस्ट 'लेटी' और 'इंद्रवा' के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि एक-एक घुसपैटिए की पहचान कर उन्हें भारत की भूमि से बाहर किया जाएगा और इस दिशा में ठोस कार्रवाई जल्द शुरू होगी.

शाह ने भारत-नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 556 किलोमीटर लंबी बॉर्डर रोड के निर्माण का भी उल्लेख किया, जिसमें 14 में से 18 खंडों का कार्य पूरा हो चुका है और शेष

चार खंडों में काम तेजी से चल रहा है. उन्होंने कहा कि सड़क परियोजना पूरी होने से सीमा पर निगरानी क्षमता बढ़ेगी और नागरिकों की सुविधाएं भी बेहतर होंगी.

उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (स्बल) की सराहना करते हुए कहा कि मित्र देशों के साथ लागू

सीमाओं की सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना आवश्यक है. गृह मंत्री ने सीमांत गांवों में बेहतर संवाद और संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया ताकि समय पर सटीक सूचनाएं मिल सकें और देशविरोधी तत्वों की घुसपैठ रोकी जा सके.

ब्राजील में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हुई

रियो डी जनेरियो. ब्राजील के दक्षिण-पूर्वी मिनस गैरिस राज्य में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गयी है, जबकि 21 लोग अभी भी लापता हैं. प्रशासन की ओर से बुधवार को आये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा प्रभावित शहर जुइज़ दे फोरा में 40 मौतें हुई हैं, जबकि पास की उबा नगरपालिका में छह मौतों की खबर है. अधिकारियों ने बताया कि जुइज़ दे फोरा में 19 और उबा में दो लोग लापता हैं. जुइज़ दे फोरा में लगभग 3,000 लोग और उबा में 26 लोग बेघर हो गये हैं, जबकि भूस्खलन और बाढ़ के खतरे के कारण क्रमशः 400 और 178 लोगों को निकाला गया है.

आज का इतिहास

- 1594 - हेनरी चतुर्थ फ्रांस का राजा बने.
- 1700 - विलियम डैम्पियर द्वारा पश्चिमी प्रशांत में नए ब्रिटेन के द्वीप की खोज की गई.
- 1816 - उद्योग ने नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस से पन: सुरीनाम वापस ले लिया.
- 1829 - तारकी की लड़ाई हुई थी.
- 1870 - जापान के वर्तमान झंडे को पहली बार जापानी व्यापारी जहाजों के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था.
- 1874 - पहली बार बेसबॉल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड में खेला गया.
- 1900 - एफसी बेयर्न म्यूनिख, जर्मनी का सबसे सफल फुटबॉल क्लब, फ्रांज़ जॉन के नेतृत्व में ग्यारह खिलाड़ियों द्वारा किया गया था.

शाह ने की जनता से सहयोग की अपील

सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान चलाया जाएगा और घुसपैटियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा. अमित शाह ने कहा कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार हैं, और सीमांचल में अभियान जल्द शुरू होगा. उन्होंने घुसपैटियों को केवल चुनाव प्रभावित करने वाला नहीं बल्कि राष्ट्र, सुरक्षा, रोजगार और गरीबों के राशन पर भी प्रतिकूल असर डालने वाला बताया. शाह ने सीमांचल की जनता से सहयोग की अपील की और कहा कि इस अभियान की सफलता में जनभागीदारी अहम होगी.

नागपुर में तीन करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क

मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नागपुर में 3.35 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की है. यह कार्रवाई रविचंद्र शत्रुघ्न पांडे और उनके परिवारजनों के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में की गई है. कुर्क की गई संपत्तियों में तीन व्यावसायिक दुकानें और 10.37 एकड़ क्षेत्रफल के दो भूखंड शामिल हैं. आरोप है कि पांडे और उनकी पत्नी खुशी पांडे ने जिन संपत्तियों में उनका कोई अधिकार नहीं था, उन्हें 2.5 करोड़ में बेचने का समझौता किया और शिकायतकर्ता अमित कोठारी से 2.2 करोड़ रुपये नकद ले लिए. बाद में तो विक्री विलेख निष्पादित किया गया और न ही राशि लौटाई गई. इसके अलावा, पांडे पर चंद्रप्रकाश वाधवानी को उनका कंपनी के माध्यम से 18 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण दिलाने का झांसा देकर 1.2 करोड़ रुपये लेने का भी आरोप है.

एआई के गलत इस्तेमाल पर रोक जरूरी

मीडिया व डिजिटल पारिस्थितिकी जरूरी



नई दिल्ली, 26 फरवरी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल समाचार प्रकाशक संघ (डीएनपीए) के सम्मेलन में कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को डीपफेक, गलत जानकारी और साइबर धोखाधड़ी जैसी समस्याओं के मद्देनजर अपनी सामग्री के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी. उन्होंने मीडिया और डिजिटल पारिस्थितिकी में लोगों का भरोसा बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव भरोसे पर टिकी है. वैष्णव ने चेतावनी दी कि कृत्रिम मीडिया और डिजिटल छेड़छाड़ नागरिकों में

भ्रम पैदा कर रही है और वैश्विक स्तर पर संस्थाओं में विश्वास कम कर रही है. ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना तत्काल आवश्यक है, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा, अश्लील व नकली सामग्री के खिलाफ. डिजिटल मंचों को उपभोक्ताओं को सत्यापित करना चाहिए और गैरकानूनी या हानिकारक गतिविधियों को रोकने में सक्रिय रहना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने एआई और सिंथेटिक सामग्री के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की आवश्यकता जताई और कहा कि किसी की सहमति के बिना किसी मशहूर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं बनाया जाना चाहिए.

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा

पता- आजाद भवन टाउन हॉल खंडवा, 450001 दूरभाष-0733 2223523

ईमेल- commkhandwa@mpurban.gov.in

क्रमांक / भण्डार / 202 / 339

खण्डवा दिनांक 10/02/2026

वार्षिक निविदा विज्ञापित

संबंधित क्षेत्र के सामग्री प्रदाताओं से निम्नलिखित सामग्री प्रदाय के लिए ई-निविदा प्रक्रिया में माध्यम से दूर आमंत्रित की जाती है। विस्तृत, कार्य से संबंधित समस्त अर्हताएं एवं आवश्यक दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

क्र.	निविदा क्रमांक	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा प्रत्यक्ष	अमानत राशि
1	2026_UAD_485330_1	Supply of ISI marked HAVELLS/PANASONIC/WIPRO/BAJAJ/PHILLIPS/ ANCHOR/OREVA SURYA / Company Make Electric Material as per the list provided in BoQ including all duties and Taxes	50 लाख	5000/-	50000/-

निविदा ऑनलाइन क्रय तथा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 27/02/2026 सांय 6 बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की तिथि - 01/04/2026 प्रातः 10 बजे

आयुक्त नगर पालिक निगम, खण्डवा

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार (म.प्र.)

दूरभाष / फैक्स क्र. - 0731-2419771

क्र./भंडार./2026/1086 धार, दिनांक 18/02/2026

ई-निविदा सूचना

धार के भोज जिला चिकित्सालय में वित्ति वर्ष 2026-27 हेतु सिविलरिटी व्यवस्था कार्य आउट सोर्सिंग द्वारा किये जाने की सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकार 500/- का निविदा शुल्क ऑनलाइन जमा कर ऑनलाइन निविदा प्राप्त कर सकता है। निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार (म. प्र.)

व्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, भारत संचार निगम लिमिटेड बिल्डिंग, प्रधान डाकघर के पास, सिविल लाईंस, जबलपुर म.प्र. 452001 (ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रक्रिया) की बात 10 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2 ए के साथ पढा जाए)

मूल आवेदन संख्या 304/2025 आवेदक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध

मे. श्री मोल्डिंग रिप प्रतिलिखित

मेसर्स श्री मोल्डिंग रिप, प्रोप्राइटर - श्री राकेश सोलंकी शॉप नं. 128/2, जीएनटी मार्केट, इन्दौर (म.प्र.) 452009

अन्य पता - मकान नं. 267, राजसं नगर, धार रोड, हनुमान मंदिर के पीछे, इन्दौर (म.प्र.)

जबकि, ओ.ए. संख्या 304/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 21.05.2025 को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि माननीय न्यायाधिकरण को उक्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत समन/सूचना पत्र जारी कि जा रहा है। यह ओ.ए. आपके विरुद्ध मात्र 24,97,182.00 रुपये की ऋण वसूली के लिये दायर किया गया है।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के अनुसार, आप अनावेदक को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं कि:

1. समन की तारीख होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

2. मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करें।

3. संपत्तियों की कुर्की के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेनदेन करने या उनका निपटार करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

4. आप अधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा किसी भी प्रकार की अन्य माध्यम से उन परिसंपत्तियों का हस्तान्तरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित सुजित है और या मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का हस्तान्तरण नहीं करेंगे।

5. आप सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम राशि का हिस्सा देने के लिये उत्तरदायी होंगे और ऐसी विक्रय राशि को उन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक में रखे गये खाते में जमा करेंगे।

6. आप आवेदन को दो महीने के अंदर ही प्रति सहित लिखित बयान दायित्व करने और 28/04/2026 को सुबह 10:30 बजे जबलपुर स्थित माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया जायेगा।

अन्य न्यायाधिकरण के हस्तारक्ष और मुहर के तहत दिनांक 09/02/2026 को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार

ऋण वसूली अधिकारी, जबलपुर म.प्र.

कार्यालय रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

दूरभाष / फैक्स क्र. - 0731-2419771

क्र.- आरएपीटीसी / क्वा.मा. / P-228 /2026 दिनांक 18/02/2026

ई-निविदा एवं सीलबंद आमंत्रण सूचना :-

रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर में संस्था के तरंग तैराकी परिसर (स्वीमिंग पूल) में केमीकल क्रय किया जाएगा है। कार्य करने हेतु आवश्यक जानकारी एवं टेण्डर फॉर्म, निर्माता फॉर्म के लिये रूपये - 1,000/- एक (हजार रूपये) 0055 पुलिस विविध प्रशिक्षण शीर्ष में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष से जमा कर <https://mptenders.gov.in> एवं www.mppolice.gov.in प्राप्त किया जा सकता है।

1. ऑनलाइन ई-निविदा केवल वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर तथा सीलबंद निविदा हार्ड कापी में तकनीकी एवं व्यवसायिक निविदा पृथक-पृथक कार्यालय में निर्धारित समय में जमा की जा सकेगी।

2. ऑन-लाइन निविदा की अंतिम तिथि 12/03/2026 समय 12:00 बजे तक है।

3. तकनीकी बिड खोलने की तिथि 13 / 03 / 2026 समय 12:00 बजे तक है।

4- व्यवसायिक बिड दस्तावेज परीक्षण उपरांत खोली जाएगी।

सेनानी

आरएपीटीसी, इंदौर

G26503/25

IndusInd Bank

इंडसइंड बैंक लि., एफएफआर डिपार्टमेंट, 11वीं मंजिल, टॉवर 1, वन वर्ल्ड सेंटर, 841, सेनापती बाग मार्ग, इंदौर (म.प्र.) 452001

परिशिष्ट- IV-A नियम 8 (6) का प्रावधान देखें

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री नोटिस वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के तहत

एतदद्वारा आमतौर पर जनसाधारण तथा विशेष रूप से ऋणियों(ओं) तथा जमानतदार (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो कि सुरक्षित लेनदार, के पास गिरवी रखी गई है/ चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया है, जिसके दिनांक 24 मार्च 2026 को 'जैसा है जहाँ है' 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर इंडसइंड बैंक लिमिटेड की बकाया राशि रु. 54,55,196.96 (रुपये चौवन लाख पचपन हजार एक सौ छियात्तवे एवं छियात्तवे पैसे) 31 जनवरी 2026 तक की वसूली के लिए बेचा जाएगा, जो कि सफदर हुसैन कनवासवाला जमानतदार/ बंधककर्ता, श्री एजाज हुसैन कनवासवाला, श्री मंगूर अली कनवासवाला, हेदीब हुसैन कनवासवाला और बुरहानुद्दीन कनवासवाला से सुरक्षित लेनदार को बकाया है।

आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि नीचे उल्लिखित है। संपत्ति का निरीक्षण 18 मार्च 2026 को निम्न उल्लिखित विवरण के अनुसार उपलब्ध होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

क्र.	सुरक्षित अस्तित्व का विवरण	ज्ञात भार	आरक्षित मूल्य इंग्लिश	निरीक्षण की तिथि
1	सर्वे नंबर 126/3/6 पैकी पर परिवर्तित भूमि, रकबा 0.047 हेक्टेयर, ग्राम- लसूईया मंत्री तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) एवं उस पर वर्तमान एवं भावी भविष्य निर्माण	NIL	Rs.99.9 लाख Rs.9.99 लाख	18-03-2026 (प्रातः 11:00 बजे से दोप. 01:00 बजे तक)

बिक्री की विस्तृत शर्तों व नियमों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.indusind.com या सेवा प्रदाता की वेबसाइट अर्थात् www.baanekauctions.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी सुशी अत्रेयी दास से मो.नं. 9601621197/ atrevi.das@indusind.com या बैंक अधिकारी श्री कमल मिश्रा से मो.नं. 09819820760/ mishra.kamal@indusind.com पर संपर्क करें।

दिनांक : 26.02.2026

स्थान : मुम्बई

प्राधिकृत अधिकारी,

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

कांफॉरेंट ऑफिस : 620, छत्तीस मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

परिशिष्ट IV | देखें नियम 8 (1) कक्षा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का संपठित नियमों के नियम 3 के तहत प्रवर्तन शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्मितकर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता / गारंटर / ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	स्वावर सम्पत्ति का विवरण	कबजे की तारीख
(ऋण खाता संख्या) LN20082HC24-25025123, श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री समंदर सिंह (ऋणी), श्रीमती रितु देवी (सहऋणी)	17 दिसम्बर 25 4,25,907/- चार लाख पच्चीस हजार नौ सौ सात रूपए मात्र, 10 दिसम्बर 25 तक	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री समंदर सिंह के सभी अभिन अंग स्थित प्लॉट नं. 23, सर्वे नं. 738/1, ग्राम डंडाला, तहसील एवं जिला धार, मध्य प्रदेश-454001, क्षेत्रफल लगभग 720.00 वर्ग फीट, उत्तर: श्री समंदर सिंह का मकान, दक्षिण: श्री दिनेश का मकान, पूर्व: सड़क, पश्चिम: राम मंदिर की कुंभ भूमि	23 फरवरी 2026
(ऋण खाता संख्या) LN20089HE24-25024334, श्री राकेश वर्मा पुत्र श्री विक्रम वर्मा के सभी अभिन अंग स्थित मकान नं. 119 का मध्य भाग, ग्राम तेजपुर गडबडी, तहसील एवं जिला इन्दौर, मध्य प्रदेश-452012, क्षेत्रफल लगभग 900.00 वर्ग फीट, उत्तर: 5 फीट गली, दक्षिण: सड़क, पूर्व: मकान नं. 119 (पूर्व दिशा का भाग), पश्चिम: मकान नं. 119 (पश्चिम दिशा का भाग)।	17 दिसम्बर 25 10,49,276/- दस लाख उनचास हजार दो सौ छिहत्तर रूपए मात्र, 10 दिसम्बर 25 तक	श्री राकेश वर्मा पुत्र श्री विक्रम वर्मा के सभी अभिन अंग स्थित मकान नं. 119 का मध्य भाग, ग्राम तेजपुर गडबडी, तहसील एवं जिला इन्दौर, मध्य प्रदेश-452012, क्षेत्रफल लगभग 900.00 वर्ग फीट, उत्तर: विक्रता की शेष भूमि, दक्षिण: विक्रता की शेष भूमि, पूर्व: श्री बाने सिंह पुत्र श्री हित्तुजी का मकान, पश्चिम: कब्जा सड़क	23 फरवरी 2026
(ऋण खाता संख्या) LN20041HC24-25024759, श्री ईश्वर सिंह गुर्जर पुत्र श्री मदन लाल (ऋणी), श्रीमती पूजा गुर्जर (सहऋणी), श्री जीवन गुर्जर (गारंटर)	17 दिसम्बर 25 9,51,096/- नौ लाख इक्क्यावन हजार छियात्तवे रूपए मात्र, 10 दिसम्बर 25 तक	श्री ईश्वर सिंह गुर्जर पुत्र श्री मदन लाल के सभी अभिन अंग स्थित सर्वे नं. 170, पटवारी हल्का नं. 32, ग्राम कान्हा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456770, क्षेत्रफल लगभग 2592.00 वर्ग फीट, उत्तर: विक्रता की शेष भूमि, दक्षिण: विक्रता की शेष भूमि, पूर्व: श्री बाने सिंह पुत्र श्री हित्तुजी का मकान, पश्चिम: कब्जा सड़क	23 फरवरी 2026
(ऋण खाता संख्या) LN20041HC23-24018430, श्री चरण सिंह पुत्र श्री राव सिंह (ऋणी), श्रीमती अनु भाई (सहऋणी)	17 दिसम्बर 25 6,26,183/- छः लाख छब्बीस हजार एक सौ तिरासी रूपए मात्र, 10 दिसम्बर 25 तक	श्री चरण सिंह पुत्र श्री राव सिंह के सभी अभिन अंग स्थित सर्वे नं. 182, पटवारी हल्का नं. 02, ग्राम दोबाडा गुर्जर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456668, क्षेत्रफल लगभग 1080.00 वर्ग फीट, उत्तर: श्री रामचंद्र का मकान, दक्षिण: खुली भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: श्री बाबू लाल की संपत्ति	23 फरवरी 2026

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्यजन को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा संपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रवर्तन शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित संपत्तियों का कब्जा प्रणयन कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों को विशिष्टता और सर्व साधारण को सामान्यता एतद्वारा संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और रजिस्ट्रार के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल चुकाना होने तक "वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड" के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांक: 26.02.2026 स्थान: इन्दौर, मध्य

प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank

इ-नीलामी की दिनांक एवं समय: 30.03.2026 को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक

परिशिष्ट - IV क (नियम 8(6) का प्रावधान देखें)

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियां इंडियन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के पास बंधक हैं तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक 30.03.2026 को इंडियन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के बकाया राशि को वसूल करने हेतु "जैसा है जहाँ है, जो है जैसा है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है।

शाखा/ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	चल एवं अचल संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य
इंडियन बैंक, ऋणी नाम शाखा उज्जैन- 48, आजाद नगर, पुष्पा मिशन हॉस्पिटल के पास, उत्तर (456010)	EMD Submission A/C Details : Name of EMD A/C : The Authorised Officer, Indian Bank, A/C No. 503755227581, IFSC IDIB0001525	21/07/2025	₹ 24,00,000
1. श्री माधव बैरागी पिता मथुरा दास बैरागी (ऋणी/बंधककर्ता)	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग मकान नं. 30, गली नं. 06, कंचनपुर, मन्दिरी रोड, उज्जैन (म.प्र.), मालिक: श्री माधव बैरागी पिता मथुरादास बैरागी, क्षेत्रफल: 4.1.76 वर्गमीटर, चतु:सीमा: पूर्व: कॉलोनी		